

**संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश**  
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

**विज्ञापन**


**एम.डी. (होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष शिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम**

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एम.डी. (होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष शिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु जारी परीक्षा परिणामों पर निर्मित मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के शासकीय एवं निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों, जिन्हें भारत शासन के आयुष मंत्रालय से मान्यता/प्रवेशानुमति व क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हो चुकी है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन काउंसिलिंग **mponline** (द्वितीय चरण) के माध्यम से संपन्न होगी। द्वितीय चरण का आनलाईन काउंसिलिंग शेड्यूल निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	पंजीयन	दिनांक 05.12.16 से दिनांक 06.12.16 रात्रि 11.59 बजे तक
2.	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 06.12.16 से दिनांक 07.12.16 सायं 05.00 बजे तक
3.	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों में एम.डी.(होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 06.12.16 से दिनांक 07.12.16 रात्रि 11.59 बजे तक
4.	सीट आवंटन	दिनांक 09.12.16
5.	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 10.12.16 से दिनांक 12.12.16 तक

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित काउंसिलिंग शेड्यूल अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन प्रदेश के समस्त शासकीय आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों में किया जावेगा। (शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर को छोड़कर)
- 3- उक्त काउंसिलिंग में भारत शासन आयुष मंत्रालय से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है।
- 4- अभ्यर्थी नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए एम.डी. (होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2016 देखकर जिम्मेदारी से आवेदन करें, जो संचालनालय की वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 5- विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय, आयुष, की वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

**आयुक्त द्वारा अनुमोदित**

  
उप-संचालक  
संचालनालय आयुष म.प्र.